कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-35, अंक - 19 | अक्टूबर 1-15, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

27 सितंबर, 2021 का भारत बंद :

किसान-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़, निजीकरण और बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़, देशभर में विरोध प्रदर्शन

27 सितंबर को भारत बंद के अवसर पर, देशभर में मज़दूर, किसान, महिला और नौजवान भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने तीनों किसान-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़, पेट्रोल-डीजल और सभी ज़रूरी वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़, बढ़ती बेरोज़गारी और रोज़गार की असुरक्षा के ख़िलाफ़, मज़दूरों के कठोर संघर्ष द्वारा जीते गए अधिकारों पर हमलों के ख़िलाफ़, अत्यावश्यक सार्वजनिक संसाधनों और सेवाओं के निजीकरण के ख़िलाफ़, आवाज़ उठाई। संयुक्त किसान मोर्चा जो वर्तमान किसान आंदोलन को अगुवाई दे रहा है, उसने भारत बंद का आह्वान किया था।

दिल्ली की सरहदों पर, सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ग़ाज़ीपुर बॉर्डर, आदि के प्रदर्शन स्थलों पर प्रदर्शनकारी किसानों ने भारत बंद के अवसर पर सभाएं आयोजित कीं, धरने दिए, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। किसानों की मांगों को बताते हुए और जब तक इन मांगों को पूरा न किया जाए तब तक संघर्ष से पीछे न हटने का ऐलान करते हुए, बड़े-बड़े बैनर लगाए गए थे। किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर बहुत ही जुझारू वातावरण रहा। प्रदर्शनकारी किसानों ने कुरुक्षेत्र, हरियाणा के शाहबाद इलाके में दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया और इस प्रकार अपना विरोध प्रदर्शित किया।

दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भारत बंद पर विशाल सभा

ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों, नौजवान और महिला संगठनों ने किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में भाग लिया और इस प्रकार उन्होंने किसानों के संघर्ष के साथ अपना भाईचारा दर्शाया। राज्य द्वारा लगाये गए बैरिकेड और घेराबंदी तथा पुलिस द्वारा लगाई गई कड़ी पाबंदियों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपने कार्यक्रमों को सफल किया।

मज़दूर संगठनों और किसान संगठनों ने देशभर में बड़े-बड़े प्रदर्शन तथा 'रेल रोको' और 'रास्ता रोको' कार्यक्रम आयोजित किए। लगभग सभी राज्यों में, गांवों में और छोटे-बड़े शहरों में और मेट्रो शहरों में भी बड़े-बड़े विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे कार्यक्रम पंजाब, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गुजरात राज्यों में हुए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस और अधिकारियों की लाठियों, आंसू गैस और गिरफ़्तारियों का भी मुक़ाबला करके, बंद को सफल करना पड़ा।

तमिलनाडु में किसान संगठनों और मज़दूर यूनियनों ने चेन्नई और सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों पर जुझारू

शेष पृष्ठ 8 पर

सी.ए.ए. का विरोध करने वालों की इतने लंबे समय तक जेलबंदी :

जनवादी अधिकारों का घोर हनन!

उमर खालिद और दूसरे नौजवानों की जमानत की अर्जियों की सुनवाई, जो स्पेशल सेशन कोर्ट में हुई, जिससे यह साफ़ हो जाता है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरे-पूरे फरेबी हैं।

17 नौजवानों, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं, उन्हें कठोर कानून यू.ए.पी.ए. के तहत गिरफ़्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को आयोजित करने में उन्होंने साजिश की थी। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया कि विदेशों में हिन्दोस्तान को बदनाम करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की हिन्दोस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करने की साजिश की थी और जिसके आधार पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया था।

उन नौजवानों को यू.ए.पी.ए. के तहत गिरफ़्तार किया गया, इसलिए उन्हें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। केंद्र सरकार ने हर तरह की तरक़ीब का इस्तेमाल किया है ताकि जमानत की उनकी अर्जियों को बार-बार टाला जा सके। कई महीने जेल में बंद रहने के बाद, 4 नौजवानों को जमानत दी गई परंतु बाकी 13 अभी भी जेल में बंद हैं। एक साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रखने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, जबकि उनके ऊपर लगाए गए आरोप का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है।

दिल्ली पुलिस ने 17,000 पन्नों वाली जो चार्जशीट पेश की है, उसमें खूब सारी ऐसी सूचनाएं दी गई हैं कि कैसे ये नौजवान सी.ए.ए.-विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय थे। परंतु उसमें कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है जिसके आधार पर आयोजित की गई सांप्रदायिक हिंसा के साथ उनमें से किसी को भी जोड़ा जा सके। चार्जशीट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि फरवरी 2020 में भाजपा के नेताओं ने नफ़रत-भरे भाषण दिए थे जिनमें उन्होंने लोगों को मुसलमानों पर और सी.ए.ए.-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने को उकसाया था। चार्ज शीट में इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है कि कई चश्मदीद गवाहों ने बताया था कि मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंसा फैलाने में कुछ हथियारबंद गुंडों के गिरोह शामिल थे, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी रही।

यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर और सोच समझकर इन नौजवानों को यू.ए.पी.ए. के तहत गिरफ़्तार किया है, ताकि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) के ख़िलाफ़ देशभर में जो जन समुदाय के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उनमें सक्रियता से भाग लेने के लिए उन्हें सज़ा दी जाए। जमानत की अर्जी की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को भी यह मानना पड़ा है।

सी.ए.ए.-विरोधी प्रदर्शनों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक प्रतिक्रिया के रूप में पेश करके केंद्र सरकार सरासर झूठ बोल रही है। सच तो यह है कि सभी धार्मिक विचारों के लोग, कंधे से कंधा मिलाकर, एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे थे जो व्यक्ति की नागरिकता को उसके धर्म के आधार पर निर्धारित करने जा रहा था और इसके लिए लोगों के बीच में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। यह सांप्रदायिकता-विरोधी आन्दोलन था, यह हर व्यक्ति के अपनी आस्थाओं के अनुसार चलने के अधिकार की हिफ़ाज़त का संघर्ष था।

12 दिसंबर, 2019 को सी.ए.ए. का जो कानून पास किया गया था, उसके अनुसार हिन्दोस्तान में रहने वाले सभी लोग जिनका बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जन्म हुआ था, हिन्दोस्तान में नागरिकता के लिए अर्जी भर सकते हैं और उन्हें यह नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते वे मुसलमान नहीं हैं। इस कानून के साथ-साथ सरकार

शेष पृष्ठ 6 पर

अंदर पढ़ें

- कोयला सम्पन्न क्षेत्र विधेयक 2
- किसान आंदोलन : वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता 3
- स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के महासचिव के साथ साक्षात्कार 4
- मुद्रीकरण पाइपलाइन के ख़िलाफ़ रेल मज़दूरों के प्रदर्शन 5
- किसानों की दयनीय स्थिति 6
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय हड़ताल 7

इजारेदार पूंजीपतियों की सेवा में है कोयला संपन्न क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक 2021

कोयला संपन्न क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 में 2021 का संशोधन, निजी मुनाफ़ा बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने को सुगम बनाने के लिये हिन्दोस्तानी राज्य का एक स्पष्ट क़दम है। हिन्दोस्तान में बड़े इजारेदार पूंजीपति चाहते हैं कि हिन्दोस्तानी राज्य न्यूनतम संभव दर पर भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करे और इसके उपयोग पर किसी भी प्रतिबंध के बिना, इसका स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने का अधिकार दे। पहले, सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के लिए खोल दिया था। हाल की नीलामी में कोयला ब्लॉकों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिये इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका और हितों की बलि चढ़ाकर अधिकतम मुनाफ़ा कमाने को आसान बनाया जा रहा है। अब इस संशोधन के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है।

हिन्दोस्तान में भूमि दुर्लभ है और यह एक अत्यंत क़ीमती संसाधन है। कोल इंडिया, एन.टी.पी.सी., रेलवे और रक्षा प्रतिष्ठानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के पास हजारों हेक्टेयर भूमि है। कोयला सम्पन्न क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के सरकार के क़दम को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह कोयला खदानों के पूंजीपति मालिकों को न्यूनतम संभव दर पर भूमि अधिग्रहण करने में सक्षम बनाने और इसके उपयोग पर बिना किसी प्रतिबंध के इसका स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने का अधिकार देने के लिए एक क़दम है।

प्रस्तावित संशोधन को सरकार द्वारा नवंबर 2020 में कोयला खदानों की पूंजीपतियों को की गई नीलामी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जब सरकार ने निजी पूंजीपतियों के लिये कोयला खदानों का अधिग्रहण करने की अनुमति देने के लिए अपने क़ानूनों में बदलाव किया, तो उसने दावा किया कि पूंजीपति मालिक कोयला क्षेत्र में कोयला खनन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और कोयले की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करेंगे। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कोयला सम्पन्न भूमि को पूंजीपतियों को सौंपना है और पूंजीपति मालिकों को इससे कोयला उत्पादन करना अनिवार्य तक नहीं है। अगर कोयले का उत्पादन करना लाभदायक होगा तो वे ऐसा करेंगे। यदि पूंजीपतियों को लगता है कि भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कोयला मज़दूर, कोयला खनन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में ऐसे बड़े बदलाव का विरोध करते रहे हैं। जनवरी, 2018 में निरस्तीकरण और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017 के द्वारा कोकिंग कोल माइन्स (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को निरस्त कर दिया गया। 20 फरवरी, 2018 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) ने निजी कंपनियों को हिन्दोस्तान में वाणिज्यिक कोयला खनन उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी। 28 अगस्त, 2019 को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कोयला खनन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को मंजूरी दी। 18 जून, 2020 को प्रधानमंत्री ने निजी पूंजीपतियों को वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खनन ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की। कोयला खदान मज़दूरों ने 2–4 जुलाई, 2020 को तीन दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया, जिससे कोयला उत्पादन ठप्प हो गया। उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोयला मज़दूरों की सभी यूनियनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 18 अगस्त, 2020 को कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस.सी.सी.एल.) के पांच लाख से अधिक मज़दूर फिर से एक दिन की हड़ताल पर चले गए।

मज़दूरों की प्रमुख मांगों में कोयले का वाणिज्यिक खनन शुरू करने के निर्णय को तत्काल वापस लेना और सी.आई.एल. के शेयरों की बिक्री के माध्यम से कोयला खनन के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाना शामिल था।

हालांकि, सरकार ने इन मांगों को नज़रंदाज़ कर दिया और कोयला खदानों की नीलामी के साथ आगे बढ़ गई, अब पूंजीपतियों की और ज्यादा सेवा के लिये इस संशोधित विधेयक को पेश किया गया है।

कोयला खदानों की नीलामी

(नवंबर 2020) पहले दौर में नीलामी के लिए 41 कोयला खदान ब्लॉक रखे गए थे। इनमें मध्य प्रदेश में 11, छत्तीसगढ़ में 9, झारखंड में 9, ओडिशा में 9 और महाराष्ट्र में 2 शामिल हैं। पहले दौर में नीलामी के लिए रखी गई 41 में से केवल 19 खदानें ही बेची जा सकीं।

कोयला मंत्रालय ने अपने दूसरे दौर की नीलामी में 67 कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रस्ताव किया है। केवल 8 कोयला ब्लॉक बेचे गए। (नीचे बॉक्स देखें)।

पहले दौर के कोयला खदानों की नीलामी के विजेता (नवंबर 2020)		दूसरे दौर के कोयला खदानों की नीलामी के विजेता (अगस्त 2021)	
अरबिंदो रियल्टी (2)	बोल्डर स्टोन मार्ट (2)	अदानी पावर	
अदानी समूह	स्ट्रैटटेक मिनिरल रिसोर्सेस	अदानी ग्रुप (सीजी नेचुरल रिसोर्सेस)–2	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
चौगुले समूह	एमिल माइन्स (2)	साउथवेस्ट पिनाकर एक्सप्लोरेशन	श्रीसत्य माइंस प्राइवेट लिमिटेड (2)
हिंडालको	फेयरमाइन कार्बन		
जिंदल पावर	जेएमएस माइनिंग (2)		
वेदांत समूह	एपी मिनरल डेव कार्पोरेशन	प्रकाश इंडस्ट्रीज	
शारदा एनर्जी मिन (2)	यज्दानी इंटरनेशनल		

कोयला खदानों का अधिग्रहण करने वाले पूंजीपतियों ने मांग की है कि सरकार उनके अधिग्रहण से अधिकतम लाभ कमाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए परिस्थितियां तैयार करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे कोयले के खनन में रुचि रखते हैं, जो कि स्टील, सीमेंट और बिजली उत्पादन जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक है। इजारेदार पूंजीपति अपने इस्पात और सीमेंट संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराने के लिए बंदी खदानें रखना चाहेंगे। साथ ही वे अधिग्रहीत ज़मीन में बड़े मुनाफ़े बनाने की संभावनाएं देख रहे हैं।

एक बार यह संशोधित विधेयक पारित हो गया तो कोल इंडिया और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को हिन्दोस्तानी सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को ज़मीन बेचने के लिए कहा जाएगा।

बड़े निगमों को बड़ी छूटें दी जाएंगी

कोयला संपन्न क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास संशोधन विधेयक 2021) बड़े कॉरपोरेट घरानों को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवज़ा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार और पुनर्वास अधिनियम 2013 (एल.ए.आर.आर. अधिनियम 2013) के उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के बंधन से मुक्त कर देगा, जब वे वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण करेंगे। पहले एल.ए.आर.आर. 2013 से यह छूट केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, उदाहरण के लिए कोल इंडिया के लिए उपलब्ध थी।

इस संशोधन से उन कॉरपोरेट दिग्गजों को फ़ायदा होगा, जिन्होंने हाल की नीलामियों में कोयला ब्लॉकों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई थी, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों और आजीविका की बलि चढ़ाकर अधिकतम मुनाफ़ा बनाया जा सके। यह एक मिसाल भी क़ायम करेगा जो बड़े कॉरपोरेट घरानों को सार्वजनिक उद्देश्य की आड़ में खनन या औद्योगीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने पर एल.ए.आर.आर., 2013 से छूट देगा।

यह संशोधन निम्नलिखित छूटें देने के लिए है :

- निजी कंपनियों को सामाजिक प्रभाव का आकलन करवाने से छूट
- इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों की और ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने से छूट
- कोयला खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले पर्याप्त मुआवज़ा देने से छूट

प्रस्तावित संशोधन में पी.ई.एस.ए., 1996 अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के लिए पंचायत विस्तार) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कोई संदर्भ नहीं है। इसका मतलब है कि ग़रीब आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदायों को विस्थापित किया जाएगा और उनके जीवन को बिना कोई राहत दिये नष्ट कर दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन, निजी कंपनियों को एल.ए.आर.आर. अधिनियम से छूट देने के अलावा, खनन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत भूमि का उपयोग करने का अधिकार भी प्रदान करता है। मौजूदा कोयला संपन्न क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास अधिनियम), 1957 में इसकी अनुमति नहीं थी। वास्तव में, एम.एम.डी.आर. (खदान तथा खनिज विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत, खनन कंपनियां खनन का पूरा होने (खदान के जीवन के अंत) के बाद भूमि को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए बाध्य हैं।

कोयला संपन्न क्षेत्र अधिनियम 1957, "सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार" (जिसे भूमि अधिग्रहण के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने अपने आप को दिया था) के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत सरकार के पास सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी मालिकों से जबरन भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति होती है। इस अधिनियम को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया था कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले की आवश्यकता है और यही वह आधार है जिसके बल पर कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 द्वारा कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

इसके विपरीत, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार जब इजारेदार पूंजीपति भूमि का अधिग्रहण करते हैं और वे मुनाफ़ा कमाने के लिए कोयला बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, तो एल.ए.आर.आर. अधिनियम के उल्लंघन का मतलब है कि ग़रीब लोगों (ज्यादातर आदिवासियों) को मुआवज़े (एल.ए.आर.आर. अधिनियम के अनुसार अधिग्रहीत की जा रही भूमि के बाज़ार मूल्य का गुणा कम से कम चार की दर) से वंचित किया जाना और इस तरह बड़े व्यापारिक घरानों के लाभ की गारंटी तय की गयी है। प्रस्तावित संशोधनों में लिग्नाइट (पहले के अधिनियम में शामिल नहीं) भी शामिल होगा और इस प्रकार आदिवासी और वन भूमि के बड़े हिस्से को निजी मालिकों को उनकी पसंद के अनुसार मुनाफ़ा कमाने के लिए सौंपने का प्रावधान है।

अधिग्रहीत भूमि के लिए केंद्र सरकार ज़िम्मेदार होगी। नीलामी पूरी होने के बाद ज़मीन और खनन के अधिकार राज्यों के ज़रिए निजी कंपनियों को लीज़ पर दिए जाएंगे।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि खनन ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी में, पहले जनवरी 2020 में खनिज कानून (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया गया था, जिसने खान और खनिज (विकास और विनियमन) – एम.एम.डी.आर. अधिनियम 1957 और कोयला खानों (विशेष प्रावधान) – सी.एम.एस.पी. अधिनियम 2015 में संशोधन किया था।

संशोधन स्पष्ट रूप से उन कंपनियों को नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति देता है जिन कंपनियों को हिन्दोस्तान में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है और न ही अन्य खनिजों या अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी में भाग ले सकती हैं। जो कंपनियां "निर्दिष्ट अंतिम उपयोग में संलग्न" नहीं हैं, वे भी कोयला खदानों की नीलामी में भाग ले सकती हैं। अंतिम उपयोग प्रतिबंध को हटाने से किसी को भी किसी भी उपयोग के लिए कोयला खदानों के मालिक होने की अनुमति मिल जाएगी – अपने स्वयं के बंदी उपभोग, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

शेष पृष्ठ 6 पर

किसान आंदोलन : वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित सभा

25 अगस्त को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को नौ महीने पूरे हुए – मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) ने 6 सितंबर को "किसान आंदोलन – "वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता" विषय पर एक सभा आयोजित की। यह सभा ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

देश के विभिन्न हिस्सों के साथ–साथ ब्रिटेन, कनाडा, अमरीका और अन्य देशों के सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया और चर्चा में हिस्सा लिया। यह सभा कई सार्वजनिक क्षेत्रों की यूनियनों के नेताओं की भागीदारी के लिए उल्लेखनीय थी जो निजीकरण के ख़िलाफ़ बहादुर और एकजुट संघर्ष कर रहे हैं।

सभा का संचालन एम.ई.सी. की ओर से बिरजू नायक ने किया। उन्होंने मुख्य वक्ता बतौर भारतीय किसान यूनियन (एकता) उग्राहां के अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह उग्रहां का परिचय कराया जो इस समय किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठनों में से एक हैं – उन्होंने कई अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं के नामों की भी घोषणा की, जिन्हें किसान आंदोलन के समर्थन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिनमें शामिल थे : लोक राज संगठन की उपाध्यक्ष संजीवनी, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन के दलविंदर, कामगार एकता कमेटी के सचिव डॉ. मैथ्यू अब्राहम, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के महासचिव अभिमन्यु धनखड़, महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव देवदास तुलजापुरकर, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ से शरद बोरकर, ग़दर इंटरनेशनल से सालविंदर, पुरोगामी महिला संगठन से पूनम, कनाडा से गुरदेव और मज़दूर एकता कमेटी की सुचरिता।

बिरजू नायक ने संक्षिप्त समीक्षा पेश की जो किसान आंदोलन ने पिछले एक साल में किया है, खासकर पिछले 9 महीनों में जब से किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देने और विरोध करने वाले किसानों पर राज्य का दमन शुरू करने के लिए सरकार की आलोचना की, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले करनाल में किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने श्री जोगिंदर सिंह उग्राहां को मुख्य प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया।

श्री जोगिंदर सिंह उग्राहां ने एम.ई.सी. को किसान आंदोलन को लगातार समर्थन देने और इस सभा के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। जिसमें विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ–साथ, सैकड़ों नागरिक, महिलाएं और युवा भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हिन्दोस्तानी और विदेशी बड़े–बड़े पूंजीवादी निगमों के इशारे पर काम कर रही है। यही कारण है कि किसानों के इतने पुरजोर विरोध के बाद भी वे ऐसे कानून पारित कर रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट घराने चाहते हैं कि ये कानून उन्हें भारी मुनाफ़ा कमाने में सक्षम बनाएं। हमारे शासकों के लिए "विकास" का वास्तविक अर्थ कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफ़े में वृद्धि सुनिश्चित करना है। सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे सभी राजनीतिक दल जब चुनाव में लोगों से वोट मांगते हैं तब यह दिखावा करते हैं कि वे लोगों के लिए हैं, लेकिन एक बार जब कोई पार्टी चुनकर सरकार में आ जाती है, तो वह बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए ही काम करती है।

श्री जोगिंदर सिंह ने घोषणा की कि संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में प्रचार करेगा और आने वाले महीनों में न केवल चुनाव वाले राज्यों में बल्कि राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी अभियान का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख समस्याओं, जैसे निजीकरण और राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री, सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा, महिलाओं का उत्पीड़न, बेरोज़गारी, भुखमरी और शिक्षा की कमी को संघर्ष का हिस्सा बनाया जायेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ ताक़तों के ख़िलाफ़ सभी को एक मंच पर लाना है। उन्होंने किसान आंदोलन को हर क्षेत्र में ले जाने के लिए हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में प्रचार सामग्री तैयार करने की

टिकरी बॉर्डर पर किसानों की जनसभा (फाइल फोटो)

आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार और सुझाव सामने रखने का आह्वान किया।

श्री उग्राहां के भाषण के बाद, कई आमंत्रित वक्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी बातें रखीं।

लोक राज संगठन (एल.आर.एस.) की उपाध्यक्ष संजीवनी जैन ने किसान आंदोलन के समर्थन में एल.आर.एस. द्वारा चलाए गए देशव्यापी अभियान के बारे में बताया। एल.आर.एस. दृढ़ता से इस बात की वकालत करता रहा है कि संप्रभुता, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में होनी चाहिए। सत्ता में बैठी सरकार को बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में और बहुसंख्यक लोगों के हितों के ख़िलाफ़ निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि किसानों की ये मांगें पूरी तरह से जायज़ हैं कि केंद्र सरकार ने जो क़ानून किसानों की चिंताओं का उल्लंघन करते हुए पारित किए हैं, उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

ब्रिटेन और कनाडा में हिन्दोस्तानी मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने किसान आंदोलन के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, ग्रेट ब्रिटेन के दलविंदर ने ब्रिटेन में मौजूद हिन्दोस्तानी मज़दूरों जिनका हिन्दोस्तान के किसानों के साथ खून का रिश्ता है उसके बारे में और शोषण तथा उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आम संघर्ष के बारे में बताया। कनाडा के गुरदेव ने किसानों की एकता, लड़ाई की भावना और संकल्प की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि संघर्ष को सफलता का ताज ज़रूर हासिल होगा। ग़दर इंटरनेशनल के सलविंदर ने हिन्दोस्तान के किसानों के संघर्ष के साथ ब्रिटिश मज़दूर वर्ग की एकजुटता व्यक्त की।

कामगार एकता कमेटी के सचिव डॉ. मैथ्यू अब्राहम ने नौ महीने से अधिक समय तक बिना रुके चल रहे किसानों के साहसिक संघर्ष की सराहना की। उन्होंने बड़े कारपोरेट घरानों द्वारा कृषि भूमि और उपज के साथ–साथ हमारे लोगों की सभी क़ीमती संपत्तियों पर इजारेदारी नियंत्रण हासिल करने के प्रयासों के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों के आम संघर्ष की बात की। विशेष रूप से, उन्होंने शासकों के निजीकरण कार्यक्रम को रोकने के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए एक संयुक्त मंच, निजीकरण के ख़िलाफ़ सर्व हिन्द मंच (ए.आई.एफ.ए.पी.) पर सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों की 50 से अधिक ट्रेड यूनियनों के एक साथ आने पर प्रकाश डाला।

बिजली और पावर इंजीनियरों के प्रतिनिधियों, रक्षा कर्मचारियों और आयुध निर्माणी मज़दूरों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रेलवे और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बैठक को संबोधित किया और किसानों के संघर्ष के समर्थन में बात की।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के महासचिव अभिमन्यु धनखड़ ने बिजली संशोधन विधेयक–2021 के ख़िलाफ़ किये गये संघर्ष का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह विधेयक किसानों पर सीधा हमला है। विधेयक में किसानों के लिए प्रदान की जाने वाली बिजली के लिए सरकारी सब्सिडी को हटाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि उत्पादन की लागत में काफी वृद्धि होगी और बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान कर्ज़ में डूबेंगे। उन्होंने किसानों के संघर्ष के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन के महासचिव देवदास तुलजापुरकर ने निजीकरण के ख़िलाफ़ किसानों और श्रमिकों के संघर्ष और हमारी सबसे क़ीमती संपत्ति को निजी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने के हमारे शासकों के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बड़े से बड़े कर्ज़ न चुकाने वाले पूंजीपतियों के हजारों करोड़ रुपये के कर्ज़ को बट्टे खाते में डालने का भारी दबाव है। लेकिन ग़रीब किसान जो चंद हजार रुपये का कर्ज़ नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है। उनकी ज़मीन और संपत्ति जब्त कर ली जाती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए मज़बूर कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और निजीकरण चिंता का विषय है, न केवल बैंक कर्मचारियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन बैंकों के हाथों में सौंप दी है। उन्होंने हमारे संघर्ष को लोगों के सभी वर्गों के बीच व्यापक रूप से ले जाने की आवश्यकता की बात कही।

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (ए.आई.डी.ई.एफ.) के शरद बोरकर ने करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक सम्पति को सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए बेच देने के सरकार के आपराधिक इरादों और उसे जायज़ ठहराने के रूप में मुद्रीकरण पाइपलाइन कार्यक्रम का खुलासा किया। यहां तक कि रक्षा जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्होंने संघर्ष को लोगों के बीच व्यापक रूप से ले जाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि मज़दूर और किसान भाई–भाई हैं और हमारा संघर्ष एक है।

पुरोगामी महिला संगठन (पी.एम.एस.) की पूनम ने किसान आंदोलन में महिलाओं की प्रेरक भूमिका पर प्रकाश डाला। महिलाओं ने पुराने सामाजिक रीति–रिवाज़ों को चुनौती दी है और बड़ी संख्या में आगे आई हैं, अपनी फ़सलों और खेतों को संभालने के साथ–साथ आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में भी शामिल हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं की भागीदारी ने भारी कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष को बनाए रखने में मदद की है। महिलाओं के संघर्ष की भावना पर पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने घोषणा की कि इससे निश्चित रूप से संघर्ष की जीत सुनिश्चित होगी।

पंजाब के विभिन्न हिस्सों से बैठक में बीकेयू एकता उग्राहां की महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं। उन्होंने संघर्ष में महिलाओं को लामबंध करने के महत्व और आंदोलन को दी गई ताक़त के बारे में बड़े साहस और स्पष्टता के साथ बात की।

एम.ई.सी. की सुचरिता ने बताया कि इजारेदार घरानों के नेतृत्व वाला पूंजीपति वर्ग मज़दूरों, किसानों और सभी उत्पीड़ितों का मुख्य और साझा दुश्मन है। इसलिए किसानों के लिए आगे का रास्ता इजारेदार घरानों और उनके जन–विरोधी एजेंडे के ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग के साथ एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनाना और मजबूत करना है।

उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि इस समय किसानों के संघर्ष के सामने सबसे बड़ा ख़तरा उन पार्टियों से है जो इस बात को बढ़ावा दे रही हैं कि भाजपा मुख्य दुश्मन है। भाजपा को मुख्य दुश्मन के रूप में पहचानने का मतलब है कि एक बार फिर से धोखा खाना और इस झूठी उम्मीद से धोखा खाना कि भाजपा की जगह कांग्रेस पार्टी या कोई भाजपा विरोधी गठबंधन किसानों के हितों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विकल्प मज़दूरों और किसानों के गठबंधन को मजबूत करना है, ताकि वे राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले सकें, इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों और अन्य सभी निजी मुनाफ़ाखोरों द्वारा हमारे लोगों की लूट को समाप्त कर सकें और सभी कामकाजी लोगों के लिए सुरक्षित आजीविका और प्रगति की गारंटी दे सकें।

कई प्रतिभागियों ने अपने मत रखे और सवाल किया कि हमारे देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, जो सरकार को इजारेदार कॉरपोरेट घरानों और मुनाफ़े की उनकी कभी न ख़त्म होने वाली लालच के पक्ष में

शेष पृष्ठ 6 पर

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के महासचिव के साथ साक्षात्कार

मज़दूर एकता लहर (म.ए.ल.) भारतीय रेल में कई श्रेणी–वार एसोसिएशनों के नेताओं के साथ जैसे कि रेल चालकों, गार्डों, ट्रेन नियंत्रकों, सिग्नल और रखरखाव कर्मचारियों, रेल की पटरियों के अनुरक्षकों, पॉइंटमैन, आदि के साक्षात्कार कर रही है और छापती रही है। इस श्रृंखला के सातवें भाग में अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.) के महासचिव कामरेड सुनील कुमार पी. (एस.के.पी.) का साक्षात्कार हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

म.ए.ल. : भारतीय रेल के स्टेशन मास्टर्स (एस.एम.) की मुख्य ज़िम्मेदारियां क्या हैं?

एस.के.पी. : स्टेशन मास्टर्स को कई तरह की ज़िम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। मैं उनमें से मुख्य ज़िम्मदारियों के बारे में बात करूंगा।

स्टेशन मास्टर को स्टेशन पर परिचालन के साथ–साथ काम कर रहे वाणिज्यिक कर्मचारियों की निगरानी करनी होती है, इसलिए ड्यूटी मस्टर को बनाए रखना होता है, कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देना होता है और सुरक्षा नियमों के बारे में उन्हें परामर्श देना होता है, रेलवे क्वार्टर आवंटित करने होते हैं, इत्यादि।

उसे समय की पाबंदी के साथ–साथ तेज़ गति से गुजरने वाली रेलगाड़ियों सहित अन्य गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। जिसमें कई चीजें शामिल हैं जैसे कि फाटकों का बंद होना सुनिश्चित करना, पटरियों को अवरोधों से मुक्त करना, सिग्नलों को सही तरीक़े से लेना और साथ ही रेल चालक दल की सतर्कता।

स्टेशन की सीमा के भीतर सभी रेल यातायात, संबंधित सिग्नलों, यात्रियों, स्टेशन पर तैनात कर्मियों के साथ–साथ रेलवे की संपत्ति के लिए भी स्टेशन मास्टर ज़िम्मेदार है। यातायात अनुरक्षण ब्लॉकों की व्यवस्था करना, ट्रैक मशीनों और अन्य विभागीय रेलगाड़ियों की आवाजाही की योजना बनाना और व्यवस्थित करना तथा गश्ती दल की आवाजाही भी उसे सुनिश्चित करनी होती है।

स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना होता है कि घायल यात्रियों की देखभाल और प्राथमिक उपचार बॉक्स में सभी आवश्यक सामान उपलब्ध हों। दुर्घटना के मामले में एस.एम. या स्टेशन प्रबंधक रिपोर्ट प्राप्त करता है और साथ ही दुर्घटना स्थल पर यात्रियों और कर्मचारियों के लिये भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

उसे शवों को हटवाने और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम देखना होता है।

वह न केवल पूरे स्टेशन परिसर बल्कि आसपास की रेलवे कॉलोनियों की सफाई के लिए भी ज़िम्मेदार है। उसे स्टेशन पर सभी यात्री सुविधाओं की उपलब्धता और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए यात्रियों की पूछताछ और शिकायतों पर ध्यान देना होता है।

उसे दैनिक नक़दी की जांच करनी होती है और नकदी का समय पर भेजना तथा टिकट जारी करना, आदि सुनिश्चित करना होता है।

एस.एम. को स्टेशन पर आने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के लिए उपस्थित होना होता है और आवश्यक सहायता प्रदान करनी होती है, स्टेशन पर निरीक्षण के लिये आने वाले विभिन्न अधिकारियों के साथ उसे जाना होता है। उन्हें स्टॉक रजिस्टर को बनाए रखना होता है और इस रजिस्टर में दर्ज वस्तुओं की जांच करनी होती है। फर्नीचर और अन्य उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार मरम्मत करानी, अधिक पुरानी वस्तुओं को हटाना और आवश्यक दस्तावेज़ आदि तैयार करना होता है ।

म.ए.ल. : भारतीय रेल के स्टेशन मास्टरों को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

एस.के.पी. : हमारे कैडर में स्थायी रूप से रिक्त पदों का होना स्टेशन मास्टरों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इससे हम पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। दुर्घटनाओं की बढ़ती दर चिंता का एक और विषय है। स्टेशन मास्टर कैडर में आर. आर.बी. की भर्ती और पदोन्नति की भर्ती एक लंबी प्रक्रिया है और इस समय तक रिक्तियां 30 प्रतिशत तक पहुंच गयी हैं।

हमारे कैडर में केवल दो ग्रेडों के साथ पदोन्नति के अवसर का अभाव, पूरे जीवन काल में पदोन्नति का केवल एक मौका देना एक और समस्या है। हमने कैडर में कम से कम चार ग्रेड देने की मांग की है ताकि किसी भी नई भर्ती पर कम से कम तीन पदोन्नति मिल सके।

काम के घंटे और आराम की अवधि के नियम (एच.ओ.ई.आर.) के तहत अनिवार्य रूप से अनिरंतर (ई.आई.) श्रेणी के तहत एस.एम. के वर्गीकरण को रेल सेवाओं और संबद्ध कर्तव्यों में वृद्धि के कारण कार्यभार में वृद्धि के अनुरूप उन्नत नहीं किया जा रहा है। ई.आई. कैटेगरी को रोज़ाना 10–12 घंटे ड्यूटी करनी होती है। बढ़ी हुई रेल सेवाओं तथा स्टेशन और स्टेशन परिसर की सफाई सुनिश्चित करने जैसी अन्य अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों के बावजूद, स्टेशन मास्टर अभी भी अनिवार्य रूप से अनिरंतर सूची के अनुसार काम कर रहे हैं। यह न केवल सुरक्षा के लिए ख़तरा है बल्कि यह एस.एम. को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मिलने वाले समय से वंचित करता है।

75 प्रतिशत स्टेशन मास्टर गैर–उपनगरीय शहर की सीमा पर काम कर रहे हैं और कम से कम 40–50 प्रतिशत स्टेशन चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं से वंचित अलग–अलग क्षेत्रों में असुविधाजनक स्थानों पर कार्यरत हैं। प्रमुख स्टेशनों पर केंद्रीकृत आवास का प्रावधान लंबे समय से लंबित मांग है। उचित परिवहन सुविधाओं का अभाव एक और समस्या है। फिर भी उन्हें सार्वजनिक व्यवहार के लिहाज से संवेदनशील श्रेणी (पब्लिक डीलिंग सेंसिटिव कैटेगरी) के रूप में हमेशा 4 साल में एक बार ट्रांसफर किया जाता है।

एल.सी. गेटों की संख्या, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, सुरक्षा बैठकें, बनाए जाने वाले रजिस्टरों की संख्या, विभिन्न अनिवार्य पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, समय–समय पर चिकित्सा परीक्षा और जनशक्ति की आवश्यकताओं आदि पर अधिकारियों द्वारा कभी भी ध्यान नहीं दिया गया जो उनकी अज्ञानता, दिमाग का इस्तेमाल न करना या जानबूझकर छल–कपट का लक्षण है।

केंद्रीय पैनल के चालू होने से पहले, एस.एम. स्टेशन के दोनों छोर पर तैनात केबिन मेन/स्विचमेन के सहयोग से रेलगाड़ियों का संचालन करते थे। इस प्रकार, रेलगाड़ियों को पास करने की ज़िम्मेदारी तीन संस्थाओं के बीच समान रूप से वितरित की गई थी। परन्तु, अंतिम केबिनों को हटाने के साथ, ट्रेन के गुजरने की पूरी ज़िम्मेदारी एक ही व्यक्ति यानी एस.एम. पर होती है! रेलवे बोर्ड (आर.बी.) उस स्टेशन पर द्वितीय एस.एम. के प्रावधान के लिए सहमत हो गया है जहां यातायात घनत्व काफी बढ़ गया है। यद्यपि अतिरिक्त एस.एम. की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आर.बी. आदेश 2002 में हमारी मांग के अनुसार और कई समितियों की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया था, इसे 19 साल बीत जाने के बाद भी सही मायने में लागू नहीं किया गया है।

व्यस्ततम मार्गों, बड़े और व्यस्त स्टेशनों पर कार्यरत स्टेशन मास्टरों का कार्यभार और उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ गया है। इस प्रकार, सभी प्रमुख और व्यस्त स्टेशनों पर प्रभारी एस.एम. या स्टेशन अधीक्षक (एस.एस.) को तैनात करना आवश्यक हो गया है। यद्यपि एस.एस. में अधीनस्थ के रूप में औसतन 15–20 कर्मचारी होंगे, उन्हें अन्य स्टेशन मास्टरों की तरह शिफ्ट–ड्यूटी करने के लिए छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ अपनी पर्यवेक्षी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह एक विडम्बनापूर्ण स्थिति है, जिस पर हमारे अनेक निवेदनों के बावजूद रेल प्रशासन आंखें मूंद रहा है। इसका स्टेशन अधीक्षकों के कैडर पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ रहा है।

अक्तूबर 2020 में 43,600 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों का रात्रि पाली के लिये मिलने वाल भत्ता मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया था। हमें एस. एम. (साथ ही रेल चालकों, गार्डों आदि जैसी सुरक्षा श्रेणी के अन्य कर्मचारियों) को 60 साल की उम्र में अपनी सेवानिवृत्ति तक रात की पाली में काम करना होता है। रात की पाली में काम करना प्रकृति के ख़िलाफ़ है और इसके लिए मिलने वाले वित्तीय मुआवज़े को बंद करना अत्यंत अन्यायपूर्ण है।

साथ ही वर्तमान स्थिति में स्टेशन मास्टरों को महामारी में लॉकडाउन के दौरान "कोरोना वारियर्स" घोषित किए बिना भी काम पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हममें से 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों का पक्षपातपूर्ण तरीके से टीकाकरण नहीं किया गया है, जो हमारा अधिकार है।

म.ए.ल. : क्या भारतीय रेल में ठेका कर्मचारी, बतौर स्टेशन मास्टर कार्यरत हैं? वर्तमान में कार्यरत स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या कितनी है और वास्तविक स्वीकृत पदों की संख्या क्या है?

एस.के.पी. : वर्तमान में हमारी श्रेणी में कोई ठेका कर्मचारी नहीं है। अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत वेतन के साथ सेवानिवृत्त स्टेशन मास्टरों को फिर से नियुक्त करने की व्यवस्था थी। इस पर अब रोक लगा दी गई है। मेरा अनुमान है कि वर्तमान में कार्यरत स्टेशन मास्टरों की वास्तविक संख्या लगभग 35,000 की स्वीकृत संख्या की तुलना में केवल 28,000 हैं। इसलिए न केवल लगभग 20 प्रतिशत पद रिक्त हैं, बल्कि स्वीकृत पदों की संख्या, पदों को खत्म किये जाने की प्रक्रिया के करण कम होती जा रही है। वर्ष 2013 में प्रत्येक डिविज़न में एस.एम. के औसतन 5 प्रतिशत पदों को ख़त्म कर दिया गया था!

म.ए.ल. : भारतीय रेल के स्टेशन मास्टरों की कार्य दशाएं कितनी सुरक्षित हैं?

एस.के.पी. : कार्यस्थल पर सुरक्षा एस.एम. के लिए भी चिंता का विषय रहा है। हम शंटिंग संचालन के पर्यवेक्षण के दौरान, सिग्नलिंग बिंदुओं के मैनुअल संचालन के दौरान, पॉइंट्स की हैंड क्रैंकिंग का अभ्यास करते समय, स्टेशनों पर चल रहे रेल चालक दल के साथ सिग्नल का आदान–प्रदान करते समय, जहां दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओ.एच.ई.) अलगाव के संचालन, आपातकाल के दौरान स्विच, स्टेशनों पर भीड़ के हमले आदि के दौरान घायल हो जाते हैं। हमारे कई सहयोगियों की इन चोटों के कारण मृत्यु हो गई है।

हाल ही में महामारी के कारण हमें भारी नुकसान हुआ है। कोरोना से अब तक 160 से ज्यादा एस.एम. की मौत हो चुकी है!

म.ए.ल. : स्टेशन मास्टरों की काम करने की सुरक्षित स्थिति अन्य रेल कर्मचारियों और यात्रियों की समग्र सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है?

एस.के.पी. : एक एस.एम. के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और शांत वातावरण का अभाव रेलवे सुरक्षा के लिए एक संभावित ख़तरा है। स्टेशन की सीमा के भीतर और स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों का संचालन पूरी तरह से एस.एम. द्वारा नियंत्रित होता है। रेल चालक के पास रेलगाड़ियों की गति में तेज़ी और कमी का नियंत्रण होता है। चालन ड्राइविंग का दूसरा हिस्सा स्टीयरिंग एस.एम. द्वारा मार्ग बदलने के साथ–साथ सिग्नलिंग द्वारा भी किया जाता है। रेलगाड़ी को खाली लाइन पर चलाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। दुर्घटनाएं तब होती हैं जब एक रेलगाड़ी को उस लाइन पर चलने के लिये निर्देशित किया जाता है जिस पर दूसरी गाड़ी प्रतिक्षा कर रही है या चल रही है। इसलिए एस. एम. की ड्यूटी के दौरान एक छोटी सी व्याकुलता गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। सिग्नलिंग परिसंपत्तियों की विफलता के दौरान, स्टेशन मास्टर्स की ड्यूटी अधिक महत्वपूर्ण होती है और जब तक कोई काम पर अत्यधिक केंद्रित नहीं होता है, तब तक दुर्घटना की पूरी संभावना होती है। यह बहुत ही कठिन काम है!

म.ए.ल. : निजीकरण ने स्टेशन मास्टरों की ज़िम्मेदारियों को कैसे प्रभावित किया है?

एस.के.पी. : रेल सेवा में निजीकरण हमारे कर्तव्यों में, जिनके लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, बाहरी हस्तक्षेप हमारी

शेष अगले पृष्ठ पर

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की योजना के ख़िलाफ़ रेल मज़दूरों का विरोध प्रदर्शन

13–18 सितंबर, 2021 के सप्ताह के दौरान हजारों रेल मज़दूर, देशभर में सड़कों पर उतर आए। विभिन्न सार्वजनिक–संपत्तियों का "मुद्रीकरण" किये जाने के नाम पर भारतीय रेल की विभिन्न संपत्तियों का निजीकरण करने के सरकार के फ़ैसले का वे विरोध कर रहे थे।

23 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन.एम.पी.) के तहत, जिस सार्वजनिक–सम्पत्ति के मुद्रीकरण की घोषणा की गयी, उस सार्वजनिक संपत्ति का 25 प्रतिशत हिस्सा भारतीय रेल से संबंधित सार्वजनिक–संपत्ति है, जिसे सरकार "मुद्रीकरण" यानी, उसका निजीकरण करने की योजना बना रही है। इनमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री रेलगाड़ियां, 741 किमी लंबी कोंकण रेलवे, अनेक रेलवे स्टेडियम और रेलवे कॉलोनियां भी शामिल हैं।

निजीकरण के इस नए नाम से रेलवे और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मज़दूरों को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इस मुद्रीकरण का मतलब साफ है – सबसे अधिक लाभदायक मार्गों को निजी पूंजीपतियों को सौंपना, तथाकथित सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों का पुनर्विकास और सार्वजनिक संपत्ति से निजी मुनाफ़े कमाने के विभिन्न तरीके। ये सार्वजनिक–संपत्तियां लोगों की हैं, लाखों मज़दूरों के खून–पसीने से बनी हैं। अब उन मेहनतकश मज़दूरों के घर भी ख़तरे में हैं क्योंकि एन.एम.पी. में रेलवे कॉलोनियों का निजीकरण भी शामिल है।

रेल मज़दूरों पर शासक वर्ग द्वारा किए जा रहे इस समाज–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी बर्बर हमले के ख़िलाफ़, वे अपनी पूरी ताक़त लगाकर संघर्ष कर रहे हैं। रेल मज़दूरों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे किसी भी नाम से किये जाने वाले निजीकरण को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे सभी पार्टी और यूनियन संबंधों से ऊपर उठकर, एक संयुक्त संघर्ष लड़ेंगे। 13–18 सितंबर के सप्ताह के दौरान देशव्यापी विरोध का आयोजन उनके इस फ़ैसले की एक झलक है।

रतलाम में रेल मज़दूरों ने 13 से 18 सितंबर को विरोध सप्ताह के रूप में मनाया

16 सितंबर को ठाणे में मध्य रेलवे मज़दूर संघ द्वारा विरोध मार्च आयोजित किये गये। उसी दिन रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.) कपूरथला की मज़दूर यूनियन ने फैक्ट्री गेट पर एक रैली का आयोजन किया; मज़दूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस रैली के लिए विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया था। आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (ए.आई.आर.एफ.) की मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन ने मध्य प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किये। दक्षिणी रेलवे मज़दूर यूनियन के मज़दूरों ने 15 सितंबर को तमिलनाडु के मदुरई में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मुद्रीकरण योजना के लिए, केंद्र की घोषणा के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया।

हर जगह, विरोध–प्रदर्शनों में शामिल मज़दूरों ने पिछले 75 वर्षों के दौरान देश के नागरिकों के खून–पसीने से बनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अब निजी पूंजीपतियों को बेचने के क़दम की कड़ी निंदा की। यहां तक कि नीलगिरी माउंटेन ट्रेन और हिमालयन टॉय ट्रेन जैसी प्रतिष्ठित रेलगाड़ियों को भी निजी हाथों में सौंपने के लिए योजना बनाई गयी है। टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है और दार्जिलिंग के आम लोगों के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, दक्षिणी रेलवे मज़दूर यूनियन के मज़दूरों ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का मुद्रीकरण करने के केंद्र के क़दम के ख़िलाफ़ 15 सितंबर को एक विरोध–प्रदर्शन आयोजित किया।

रेलवे के निजीकरण के कार्यक्रम को रोकना आवश्यक भी है और संभव भी। भारतीय रेल के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष, इजारेदार पूंजीवादी घरानों के नेतृत्व में शासक पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ एक संघर्ष है। निजीकरण का कार्यक्रम पूंजीपति वर्ग का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के ख़िलाफ़, एकजुट होकर लड़ने की सख़्त ज़रूरत है। वक्त की मांग है कि रेल मज़दूरों और उनकी यूनियनों को अपनी एकता को बनाए रखना है और मजबूत करना है, चाहे वे किसी भी पार्टी या यूनियन से जुड़े हुए हों।

http://hindi.cgpi.org/21387

भारतीय रेल के निजीकरण के ख़िलाफ़ रेल मज़दूरों ने 13–18 सितंबर को विरोध सप्ताह के रूप में मनाया

स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के महासचिव के साथ साक्षात्कार

पृष्ठ 4 का शेष

श्रेणी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। स्टेशन स्तर पर पर्यवेक्षक के रूप में, अनुबंध कार्य की शर्तों को सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टरों के प्रमुखों पर एक अतिरिक्त गैर–मुख्य गतिविधि है। हमें ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। भविष्य में स्टेशन मास्टरों का काम आउटसोर्स होने की संभावना है! मेट्रो रेल में ऐसा पहले ही हो चुका है।

म.ए.ल. : इन समस्याओं को रेलवे अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए आपकी एसोसिएशन ने क्या क़दम उठाए हैं और स्टेशन मास्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है?

एस.के.पी. : हम मंडल, ज़ोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रशासन के साथ मुद्दों को उठाते रहे हैं। संबंधित कार्यकारी समितियां इस मामले पर चर्चा करती हैं और प्रस्ताव पारित करती हैं। इन्हें संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है। शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक और टेलीफोन पर बातचीत भी की जाती है। हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आर.एल.सी., कानूनी मंच, वेतन आयोगों से भी संपर्क करते हैं।

इस एसोसिएशन द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर रेलवे की नौकरशाही हमेशा से ही अडिग रही है। हम अपनी कुछ शिकायतों पर कुछ अनुकूल आदेश प्राप्त करने में सक्षम थे। मंडल स्तर पर प्रशासन बताता है कि हम रेलवे के एक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं हैं और वे हमें डराने की कोशिश करते हैं।

म.ए.ल. : कामरेड सुनील कुमार इस बहुत जानकारीपूर्ण साक्षात्कार के लिए धन्यवाद! हम भारतीय रेल के स्टेशन मास्टरों की जायज़ मांगों का पूरा समर्थन करते हैं। इन न्यायोचित मांगों का समर्थन करना सभी रेलकर्मियों के साथ–साथ पूरे मज़दूर वर्ग के लिए आवश्यक है।

http://hindi.cgpi.org/21384

सरकारी आंकड़े किसानों की दयनीय स्थिति का खुलासा करते हैं

लंबे समय से हिन्दोस्तानी समाज की रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला कृषि क्षेत्र, इसमें कार्यरत लोगों के लिए अब पर्याप्त आय नहीं दे रहा है

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 10 सितंबर, 2021 को प्रकाशित स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (एस.ए.एस.) देश में किसानों की आर्थिक स्थिति पर सबसे व्यापक आधिकारिक सर्वेक्षण है। यह 2019 में किया गया था और इसमें 12 महीने की अवधि, जुलाई 2018 से जून 2019 तक का डेटा एकत्र किया गया था। यह कृषि संकट की गंभीरता और किसान परिवारों की दयनीय स्थिति की पुष्टि करता है।

स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (एस.ए.एस.) का अनुमान है कि 2018–19 में ग्रामीण हिन्दोस्तान में 17.2 करोड़ परिवार थे, जिनमें से 9.3 करोड़ कृषक परिवार या किसानों के परिवार थे। शेष 7.9 करोड़ परिवारों में से 4.3 करोड़ परिवार सामयिक मज़दूरी पर निर्भर थे। लगभग 2.2 करोड़ परिवारों में कम से कम एक सदस्य वेतन पर नौकरी करने वाला था।

एक कृषक परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें, कम से कम एक सदस्य वर्ष के दौरान 4,000 रुपये से अधिक मूल्य की फ़सलों की खेती, पशुधन पालन या अन्य विशिष्ट कृषि उत्पादों का उत्पादन करने में स्व–नियोजित था।

जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान कृषक परिवारों द्वारा कमाई गई औसत मासिक आय 10,200 रुपये थी, जिसमें से 3,800 रुपये खेती से और 4,060 रुपये वेतन आया था। यह देखते हुए कि यह औसत आय है, इसका मतलब है कि कम से कम आधे किसान परिवार 10,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं।

2018–19 के स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (एस.ए.एस.) की तुलना पिछली बार किये गये 2012–13 के स्थिति आंकलन सर्वेक्षण (एस.ए.एस.) के साथ करने से पता चलता है कि अधिक से अधिक किसान परिवार मज़दूरी से होने वाली आय पर निर्भर होते जा रहे हैं। 2012–13 में, कृषक परिवारों की औसत आय का 48 प्रतिशत अपनी खुद की खेती करने या ज़मीन को भाड़े पर देने से आता था, जबकि 32 प्रतिशत की आय मज़दूरी से आती थी। 2018–19 में खेती की आय का हिस्सा गिरकर 37 प्रतिशत हो गया है जबकि मज़दूरी की आय का हिस्सा बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है।

हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप में लंबे समय से समाज की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि अब इसमें लगे लोगों के लिए पर्याप्त आय नहीं दे रही है।

अधिकांश किसान जिनके पास 10 एकड़ या उससे कम ज़मीन है, उनके लिए खेती से होने वाली आय परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों को वेतन वाली नौकरी या कम से कम दैनिक मज़दूरी पर काम ढूंढना पड़ रहा है। बड़े भूमिधारक अल्पसंख्यकों के लिए, अधिकांश आय खेती से आती है लेकिन हाल के वर्षों में, उनके लिए भी खेती से होने वाली आय में गिरावट रही है।

एक तरफ जहां नई दिल्ली में केन्द्र सरकार और राज्यों में सरकारें लगातार पूंजीवादी कंपनियों के लिए "व्यापार करने में आसानी" के नाम पर सुधार के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की आर्थिक गतिविधि बेहद जोखिम भरी हो गई है। असहनीय परिस्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष में एकजुट होने के अलावा किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं है।

http://hindi.cgpi.org/21382

जनवादी अधिकारों का घोर हनन!

पृष्ठ 1 का शेष

ने ऐलान कर दिया कि वह नागरिकता की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) भी बनाएगी। नागरिक के रूप में दर्ज होने के लिए यह ज़रूरी होगा कि हर हिन्दोस्तानी को अपने जन्म स्थान, अपने मां–बाप के जन्म स्थान, आदि, इन सबके दस्तावेज़ी सबूत दिखाने पड़ेंगे। जो ऐसे दस्तावेज़ नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें अवैध आप्रवासी करार दिया जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर में बंद करके रखा जाएगा। हर राज्य में ख़ासकर इस मक़सद के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा।

एन.आर.सी. के साथ–साथ सी.ए.ए. – ये दोनों क़ानून देशभर में मुसलमानों पर उत्पीड़न को खूब बढ़ाने की धमकी थे, और इनकी वजह से मुसलमान समुदाय के बीच में व्यापक तौर पर डर और असुरक्षा पैदा हो गई।

सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करने के फरेबी इल्ज़ाम पर सी.ए.ए.–विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार करना राजकीय आतंकवाद का क़दम है। इसका मक़सद है लोगों को इतना डरा देना कि वे हर प्रकार के विरोध से पीछे हट जायें और राज्य के अधिकारी जो भी करना चाहते हैं, उसे चुपचाप मान लें।

यह न तो पहली बार है और न आखिरी बार, कि हिन्दोस्तान की सरकार ने एक अपराधी कांड को आयोजित किया है और फिर तथाकथित राष्ट्र–विरोधी तत्वों पर इसका इल्ज़ाम लगाया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2021 को भी ऐसा ही किया गया था। अराजकता और हिंसा आयोजित की गई थी और फिर किसान आंदोलन द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली को उसके लिए दोषी बताया गया था। इस झूठी कहानी का इस्तेमाल करके दिल्ली की सरहदों पर, विरोध प्रदर्शन के स्थलों पर कांटेदार तारों के बाड़े लगाए गए थे। किसान आंदोलनकारियों को इंटरनेट सेवाओं, पानी की सप्लाई, आदि से वंचित किया गया था और उन्हें गिरफ़्तार व उत्पीड़ित किया गया था और इस सब को जायज़ ठहराया गया था।

बीते समय में भी झूठा प्रचार करने के लिए बार–बार ऐसे तरीक़े अपनाए गए हैं ताकि लोगों के जायज़ संघर्षों को सांप्रदायिक और राष्ट्र–विरोधी करार दिया जा सके और उन पर राजकीय आतंकवाद का प्रयोग करना जायज़ ठहराया जा सके। मिसाल के तौर पर, जून 1984 में जब सेना ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था, तो उसे जायज़ ठहराने के लिए केंद्र सरकार ने यह झूठा प्रचार किया था कि स्वर्ण मंदिर के अंदर कोई सिख गिरोह है जो पूरे हिन्दोस्तान में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करने की साजिश बना रहा है। अब यह जानी–मानी बात है कि उस समय केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियां पंजाब में बसों के अंदर घुसकर और बाज़ारों में जाकर, बेकसूर हिंदुओं का क़त्ल आयोजित करती थीं और जिसके बाद तथाकथित उग्रवादियों को उसके लिए दोषी ठहराती थीं, ताकि पूरे हिन्दोस्तान में सांप्रदायिक ज़हर फैलाया जा सके। नवंबर 1984 में जब केंद्रीय राज्य ने दिल्ली और अन्य जगहों पर सिखों का क़त्लेआम आयोजित किया था तो उस समय भी यही झूठा प्रचार चलाया गया था कि सिख समुदाय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर खुशियां मना रहा था, कि उन्होंने राजधानी दिल्ली के लोगों के पीने के पानी में ज़हर मिला दिया था।

राजकीय आतंकवाद और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष पूरी तरह जायज़ संघर्ष है। यू.ए.पी.ए., राजद्रोह कानून, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, आदि जैसे लोकतंत्र–विरोधी क़ानूनों को फ़ौरन रद्द किया जाना चाहिए। इन क़ानूनों के तहत नाजायज़ तरीक़े से गिरफ़्तार किये गए सब लोगों को फ़ौरन रिहा कर दिया जाना चाहिए। यह बेहद ज़रूरी है कि सभी संगठन और लोग जो जनवादी अधिकारों की हिमायत करते हैं, पूरे दिल के साथ इन मांगों के लिए संघर्ष का समर्थन करें।

मुद्दा यह नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति सी.ए.ए.–विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ या तीन किसान–विरोधी कानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में भाग लेने वालों के साथ सहमत है या नहीं। मुद्दा यह है कि लोगों को पूरा अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी क़ानून या सरकार द्वारा अपनाई गई किसी भी नीति के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रकट कर सकें। लोगों का यह अधिकार छीन लेना और सरकार के ख़िलाफ़ जन–विरोध को एक अपराध करार कर देना, यह सरासर राजकीय आतंकवाद है। इसे मंजूर नहीं किया जा सकता और हम इसे मंजूर नहीं करते हैं।

एक पर हमला सब पर हमला!

http://hindi.cgpi.org/21402

कोयला सम्पन्न क्षेत्र कानून

पृष्ठ 2 का शेष

कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) संशोधन विधेयक 2021 का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है। सरकार ने इस पर कोई जनमत नहीं मांगा है।

अक्षय ऊर्जा संयंत्र

अक्षय उर्जा पर रिन्यू पावर, ग्रीनको, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, ए.सी.एम.ई., एस. बी. एनर्जी, एज्यूर पावर, सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा और हीरो फ्यूचर एनर्जी जैसे प्रमुख कॉरपोरेट इजारेदारों का वर्चस्व है और उनकी वैश्विक वित्त पूंजी तक भी पहुंच है। चुनौती पर्याप्त भूमि खोजने की है क्योंकि सौर और पवन आधारित बिजली संयंत्रों के लिए बड़े भूखंडों की आवश्यकता होती है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पूंजीपति कोल इंडिया के स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने में रुचि रखते हैं। वर्तमान में कोल इंडिया, रेलवे और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपनी भूमि का उपयोग अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कर रही हैं। पूंजीपति कुछ पुरानी कोयला खदानों को बंद करना चाहते हैं और अक्षय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे का उपयोग करना चाहते हैं।

संशोधन विशेष रूप से निजी कंपनियों को खनन गतिविधियों के पूरा होने/या "सहायक गतिविधियों" के लिए उपयोग किए जाने के बाद भी अधिग्रहीत भूमि पर नियंत्रण रखने के लिए प्रदान करता है।

यह बड़े पूंजीपतियों का एजेंडा है जिसे वर्तमान सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, भूमि सहित सभी सार्वजनिक संपत्तियों को निजी इजारेदारों को सौंप देना ताकि वे लोगों के हितों की क़ीमत पर अपने मुनाफ़े को अधिकतम कर सकें। निजीकरण के ख़िलाफ़ कोयला मज़दूरों का संघर्ष पूरे समाज के हित में एक न्यायोचित संघर्ष है।

http://hindi.cgpi.org/21407

किसान आंदोलन ...

पृष्ठ 3 का शेष

लाखों किसानों की मांगों को अनदेखा करने में सक्षम बनाती है? उन्होंने एक नई राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया की वकालत की जिसमें मज़दूर और किसान निर्णय लेने वाले होंगे और अर्थव्यवस्था इजारेदार पूंजीपतियों के अति–मुनाफ़े की लालच के बजाय बहुसंख्यकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होगी।

सभा के अंत में, श्री जोगिंदर सिंह उग्राहां ने प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई कई चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हिन्दोस्तान के हर राज्य में लोगों को संगठित करने के लिए एक ज़ोरदार देशव्यापी अभियान चलाने का फ़ैसला किया है।

बिरजू नायक ने इस प्रेरक संभावना के साथ कार्यवाही का समापन किया कि किसान आंदोलन के दौरान आज मज़दूरों और किसानों की एकता, मज़दूर–किसान शासन की स्थापना की ओर ले जाएगी, जो सभी के लिए सुख (समृद्धि) और रक्षा (संरक्षण) सुनिश्चित करेगी।

http://hindi.cgpi.org/21372

Mazdoor Ekta Lehar (Internet Editions)
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org, English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org &
Tamil (Thozhilalar Ottrumai Kural): http://www.tamil.cgpi.org
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भयानक शोषण को उजागर करती सर्व हिन्द हड़ताल

24 सितंबर, 2021 को देशभर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की लगभग 1 करोड़ आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, स्कूल में खाना बनाने वाली तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की। इन कार्यकर्ताओं में अधिकतर महिलाएं हैं जिन्हें योजना कार्यकर्ता (स्कीम वर्कर) भी कहा जाता है। वे कई वर्षों से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया है।

हड़ताल का आयोजन स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के संयुक्त मंच के बैनर तले किया गया था, जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियनें – इंटक, एटक, एच.एम.एस., सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., ए.आई.सी.सी.टी.यू., एल.पी.एफ., यू.टी.यू.सी., इत्यादि शामिल थे।

कर्नाटक

गुजरात

बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, में जिला स्तर के साथ–साथ कई कस्बों और शहरों में तथा दूरदराज़ के गांवों में विरोध प्रदर्शन और सभाओं की सूचना मिली है। राजधानी दिल्ली सहित ज्यादातर महानगरों में भी हड़ताल की गई। कई जिला और ब्लॉक स्तर के सरकारी मुख्यालयों पर प्रदर्शन, धरने और रैलियां आयोजित की गईं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गये।

कर्नाटक में लगभग 42,000 आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिड–डे मील कार्यकर्ताओं ने राजधानी बैंगलूरू सहित पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तराखंड आशा वर्कर्स एसोसिएशन ने न्यूनतम मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर देहरादून में आशा और मिड–डे मील कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

पंजाब आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने पंजाब के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद, जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संगरूर में राज्य शिक्षा मंत्री के आवास का कई घंटों तक घेराव किया गया और मांग की गई कि उन्हें अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में पहचाना जाए और सभी उचित लाभ दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने भी कोविड–19 के प्रसार को रोकने में मदद की है।

केरल में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और सभायें की गईं।

पूरे जम्मू और कश्मीर में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कीम–वर्कर्स ने सेना की गश्त और कर्फ्यू जैसे स्थितियों को चुनौती देते हुए धरना और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।

असम में मिड–डे मील मज़दूरों की कुल संख्या के एक–चौथाई से अधिक–लगभग 35,000 कार्यकर्ताओं ने ऑल असम मिड–डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 1,500 रुपए के मामूली मासिक मेहनताने में वृद्धि की मांग की और राज्य सरकार द्वारा इसे नियमित रूप से वितरित नहीं किये जाने का विरोध किया।

दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं ने मंडी हाउस से जंतर–मंतर तक एक रैली निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। उन्होंने केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री को ज्ञापन सौंपा।

योजनाओं के हड़ताली मज़दूरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए, मज़दूर यूनियनें, किसान और महिला संगठन शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आशा एवं आंगनवाड़ी तथा अन्य स्कीम–वर्कर्स की सर्व हिन्द हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन दिया।

कोविड–19 के नाम पर सार्वजनिक विरोध पर राज्य द्वारा लगाए गए भारी दमन और प्रतिबंध के विरोध में सर्व हिन्द हड़ताल के दौरान कई जगह पर विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित किए गए थे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत कार्यरत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो केन्द्र सरकार की समन्वित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) से जुड़ी हैं, मुख्य रूप से महिला कार्यकर्ता हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में देश में 10 लाख से अधिक आशा और लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, साथ ही 12 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कूल मिड–डे मील योजना से जुड़ी 90 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं। हालांकि ये श्रमिक महिलाएं, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उन्हें "मज़दूरों" की श्रेणी से वंचित कर दिया गया है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य "स्वयंसेवकों" के रूप में जाना जाता है, जो एक मासिक न्यूनतम "मानदेय" के अतिरिक्त सिर्फ कुछ कार्य/गतिविधि आधारित प्रोत्साहन के हक़दार हैं। उनका कुल मेहनताना वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी से काफी कम है।

हड़ताली कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मुख्य मांगों में से एक यह थी कि सरकार द्वारा तत्काल देश की सभी योजनाओं के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए प्रति माह, कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.एस.) और भविष्य निधि (पी.एफ.) की घोषणा की जाए।

योजनाओं के हड़ताली श्रमिकों ने 24 सितंबर को प्रधानमंत्री को एक पत्र भी भेजा, जिसमें अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति, सुरक्षा तंत्र और जोख़िम भत्ते की मांग की गई है। उन्होंने मांग की कि उन्हें अग्रिम कार्यकर्ता के रूप में मान्यता दी जाए और उनकी नौकरियों को नियमित किया जाए, जिसमें कि उन्हें वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की गारंटी दी जाए। अन्य मांगों में 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा, पूरे परिवार के लिए कोविड–19 के इलाज के खर्च के लिए राशि, कोविड–19 ड्यूटी में लगे सभी अनुबंध और योजनाओं के मज़दूरों के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए का अतिरिक्त कोविड जोखिम भत्ता और मुआवज़ा शामिल है। जो कोविड संक्रमित हो गए हैं और ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, उन सभी के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए का मुआवज़ा और सभी स्कीम वर्कर्स के वेतन और भत्ते के रुके हुए सभी बकायों का भुगतान तुरंत किया जाए।

महाराष्ट्र

काम करने की बेहतर परिस्थितियों के अलावा उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, इन योजनाओं के लिए अधिक धन की मांग की। योजनाओं के हड़ताली मज़दूरों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की मांग की।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी आशा, आंगनवाड़ी और अन्य योजनाओं के मज़दूरों के लिये, मज़दूर बतौर मान्यता पाने और अजीविका की गांरटी पाने तथा लाभकारी वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर काम की स्थिति के लिए किये जा रहे उनके संघर्ष का पूरा समर्थन करती है।

http://hindi.cgpi.org/21396

उत्तर प्रदेश

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Oct, 2021 Date of publish - 1 Oct, 2021

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020।
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

पृष्ठ 1 का शेष

किसान–विरोधी क़ानूनों और महंगाई के ख़िलाफ़ देशभर में प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। नई दिल्ली में सभी मुख्य ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित की। मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) के प्रतिनिधि ने, अन्य ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ–साथ, रैली को संबोधित किया।

27 सितंबर के भारत बंद के अवसर पर मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के इन विरोध प्रदर्शनों में, इनकी जुझारू भागीदारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतम लोग अपनी रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर तेज़ होते जा रहे हमलों का बढ़–चढ़कर विरोध कर रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मज़दूर, किसान और मेहनतकश व दबे–कुचले लोगों के सभी तबके एक नए हिन्दोस्तान के निर्माण के संघर्ष में बढ़–चढ़कर एकजुट हो रहे हैं, जिस नए हिन्दोस्तान के अंदर लोग खुद अपने फ़ैसले ले सकेंगे और जिसमें हमारे अधिकारों और खुशहाली को सुनिश्चित किया जाएगा।

http://hindi.cgpi.org/21405

मेरठ में अधिवक्ताओं ने बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया

देशभर में भारत बंद के दौरान हुए प्रदर्शनों की कुछ झलकियां

तमिलनाडु के तूतीकुड़ी में

नई दिल्ली के संसद मार्ग पर

उत्तराखंड के उधमसिंहनगर में

कर्नाटक के बेंगलूरू में

हरियाणा के जींद में

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) में